



2026:

AHC:20814

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या – 1232 सन् 2026

मोहम्मद अजहरुद्दीन

.....याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....उत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता

: आनंद कुमार श्रीवास्तव, फहीम अहमद

उत्तरदाता(उत्तरदाताओं) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री फहीम अहमद और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता के पिता चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, जो 04.01.1982 से कार्यरत थे। उनका 25.09.2021 को सेवा के दौरान निधन हो गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति का दावा करते हुए उत्तरदाता के समक्ष आवेदन किया, लेकिन आज तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्धारण सर्वप्रथम उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. बार में दिए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति उत्तरदाता संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करे। इस अभ्यावेदन पर उत्तरदाता आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर विधिवत विचार करेगा, जिसमें पात्रता, उपयुक्तता और यदि कोई प्रतिस्पर्धी दावा हो तो उसे ध्यान में रखा जाएगा। यदि उत्तरदाता संख्या 3 को यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो याचिकाकर्ता को विधिवत सूचना देने के बाद संबंधित दस्तावेज़ उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।

**30 जनवरी, 2026**

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एन.एस. राठौर

बुधवार)

(न्यायमूर्ति, विकास

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"